उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 957/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून :: दिनांक:: 21 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

नियम 24 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017(जिसे इसमें एतस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 24 के उपनियम (4) में "31 अक्टूबर, 2017 को या उससे पहले" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

नियम 45 में संशोधन

3. "मूल नियम" के नियम 45 में-
(क) उपनियम (3) में, "तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन या पहले की अवधि के लिए दिए गए प्ररूप जीएसटीआईटीसी–1 में सम्मिलित किया जायेगा" शब्दों के स्थान पर "उस अवधि के लिए, तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर या पहले या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए, दिए गए प्ररूप जीएसटीआईटीसी–04 में सम्मिलित किया जायेगा"।

(ख) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जायेगा; अर्थात् :--
केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नियम 96 में संशोधन

4. "मूल नियम" के नियम 96 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया जाएगा;

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वतः प्रारूपित की जाएगी ।

नियम 96क में संशोधन

5. **"मूल नियम"** के नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे किया जाएगा, अर्थात् :--

परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया जाएगा;

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वतः प्रारूपित की जाएगी ।"

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संं0 957/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.957/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017, dated 21 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 957/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 21 November, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act(as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017

Short title and Commencement

1. **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall deemed to come into force from the 28th day of October, 2017.

Amendment in Rule 24

2. In sub-rule (4) of Rule 24 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), for the words, figures and letters "on or before 31st October, 2017", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2017" shall be substituted.

Amendment in Rule 45

3. In Rule 45 of the "Principal Rules"-

(a) in sub-rule (3), after the words "succeeding the said quarter", the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf.

(b) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted; namely:-

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted.

Amendment in Rule 96

4. In sub-rule (2) of Rule 96 of the "Principal Rules", the following provisos shall be inserted; namely:-

Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in

exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs;

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.

Amendment in Rule 96A	**5.**	In sub-rule (2) of Rule 96A of the "Principal Rules", the following provisos shall be inserted; namely:-

Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs;

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.

(Radha Raturi)
Principal Secretary